करने की सलाह दी गई है । विनिर्माताओं/पैकरों को एसोसिएशनों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने सदस्यों को सलाह दें कि वे इन नियमों के उपबंधों का पालन करें, अपने संशोधित मूल्यों को समाचार पत्रों में विज्ञापित करें और उनकी प्रतियां थोक विक्रेताओं/खुदरा विक्रेताओं को दें तथा उन्हें निदेश दें कि वे संशोधित मूल्यों से अधिक मूल्य न लें । व्यापार की आम सूचना के लिए एक ऐसा विज्ञापन भी जारी किया जा रहा है ।

उपभोक्ताओं तक इन लाभों को पहुंचाने के लिए कारगर परिवीक्षा की दृष्टि से, मंत्रालय एक निगरानी समिति भी गठित करने पर भी विचार कर रहा है, जिसमें व्यापार, उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि तथा सरकारी अधिकारी शामिल होंगे ।

शराब को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में रखा जाना

3809. **श्रीमती सत्या बहिन :**

श्रीमती कैलाश पति :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शराब (मदिरा) को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) और किन-किन मदों को इस श्रेणी में रखा गया है; और

(घ) उनका ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत, जब भी स्थितियों के अनुसार ऐसा अपेक्षित होता है और उस विषय से प्रयासनिक रूप से संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा आवश्यक सिफारिश की जाती है, वस्तुओं को आवश्यक वस्तुएं घोषित कर दिया जाता है ।

(ग) तथा (घ) इस समय विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के 66 वर्ग इस रूप में सूचीबद्ध हैं । इनमें खाद्य सामग्रियां, धातुएं, खनिज, वस्त्र, मशीनरी तथा वस्तुओं की अन्य विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं, जो प्रत्येक विशिष्ट रूप से सूचीबद्ध हैं ।

Allotment of ration depots

3810. SHRI MOHINDER SINGH KALYAN : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) what is the criteria being followed in allotting ration depots to applicants;

(b) whether special considerations are showns to applicants from scheduled Caste and Scheduled Tribe communities; and

(c) what is the state-wise break-up of ration depots belonging to dealers from Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) to (c) The operational responsibility for implementing the Public Distribution System (PDS) rests with the State Governments/UT Administrations. Decisions regarding opening of fair price shops, including policy relating to preferences are taken by the State Governments/UT Administrations. The Central Government has written to the State Governments/UT Administrations advising them to consider reserving a percentage for issue of licences for running a fair price shop and kerosene oil depot and coal depots under the PDS to persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes. Some State Governments have fixed quota system of preferences in allotment of FPS/kerosene oil depot/coal depot to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, in their States. The

details regarding actual allotment of FPS/ kerosene oil depots granted to SC/STs are not maintained by the Central Government.

हिमाचल प्रदेश में उचित दर दुकानें

3811. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले की रोहड़ू और चिड़गांव तहसीलों की जनता को उचित दर पर आवश्यक खाद्य वस्तुएं और मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने के लिए राज्य आपूर्ति निगम की उचित दर दुकानें खोलने का विचार रखती है;

(ख) हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अभी तक उपर्युक्त तहसीलों में उचित दर दुकानें न खोले जाने के क्या कारण हैं जबकि राज्य के दूसरे सभी हिस्सों में लोगों की सुविधा के लिए ऐसी दुकानें खोली गई हैं; और

(ग) क्या सरकार भविष्य में और अधिक ऐसी दुकानें खोलने का विचार रखती है और यदि हां, तो कब तक और इन दुकानों को किन-किन स्थानों पर खोला जाएगा ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Participation by women and rural people in consumer movement

3812. SHRI VIREN J. SHAH : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the participation of women and rural people in the consumer movement is at present quite negligible;

(b) if so, what are the details of their participation, State-wise; and

(c) what steps Government have taken or propose to take to involve their maximum participation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) to (c) For strengthening and broadbasing the consumer movement in the country, the Government encourages the participation of all consumers including women and rural people. Government has taken a number of steps including provision of financial assistances to voluntary consumer associations, organising national/regional/state level seminars for involvement of people at the grass-root level and institution of national awards under which preference is given to women and those working in rural/tribal areas. Government have also announced a separate National Award for women consumer activists from this year. Apart from the above, special provisions have been made in the Consumer Protection Act, 1986 and the Rules made thereunder for nomination of farmers and women in the Central Consumer Protection Council and State Consumer Protection Councils. The three-tier consumer disputes redressal agencies also have one woman member each as provided under the statute.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से घटिया खाद्यान्नों की आपूर्ति

3813. **श्री अजीत जोगी** :

श्री छोटू भाई पटेल :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992-93 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन घटिया